International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 08-06-2021, Accepted: 23-06-2021, Published: 09-07-2021
Volume 7, Issue 4, 2021, Page No. 31-33

महिला अधिकार और संघर्षः कल और आज

Dr. Urmil Vats, Dr. Subodh K Singh
Assistant Professor, Shyama, Prasad Mukherjee College, University of Delhi, Delhi, India
Associate Professor (Law), (Ex-Prosecution Officer), Harish Chandra PG College, Varanasi, Uttar Pradesh, India

सारांश
आज विश्व के हर कोने में महिला सशक्तिकरण की गूंज सुनाई देती है। 21वीं सदी को महिलाओं की सदी भी कहा जा रहा है। उसके विकास और अधिकारों की बात हर दिशा में हो रही है प्रकृति ने जब नारी व पुरुष दोनों को समान बनाया है। तब क्या वजह है कि आज नारी के अधिकारों की बात अधिक होती है वजह साफ नजर आती है कि प्रकृति ने तो उसे समान बनाया है परन्तु पुरुष प्रधान समाज ने उसे हमेशा समान नहीं समझा।
विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन इन जीवों में मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसे अच्छा जीवन जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है, इनके बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक और भविष्य भी अधिकारों की माँग हमेशा रहती है समय और परिस्थितियों के अनुरूप अधिकारों की माँग में बदलाव आता रहता है।
अधिकार क्या है? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? अधिकारों का वर्णन तो है, पर क्या देश का हर नागरिक अधिकार प्राप्ति में सक्षम है? क्या उसके पास सम्मानजनक जीने का अधिकार है? अगर नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है समाज या कानून?

मूल शब्दः महिला, अधिकार, कानून, चुनौतियाँ, सुझाव

प्रस्तावना
"वह उष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है
पृथ्वी है, क्यूँ कि, वही तो आधी दुनियाँ
और पूरी स्त्री है।"

भारत में महिलाएं व संघर्ष
भारत में महिलाओं की स्थिति उबड़–खाबड़ धरातल से होती हुई आगे बढ़ी है। हालांकि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। सभी क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा प्राप्त था।
ऋग्वैदिक काल की अगर बात करे तो स्त्रियों को अपना वर चुनने की आजादी थी। विवाह भी एक परिपक्व उम्र में ही होता था। ऋग्वेद और उपनिषद् जैसे ग्रंथों में महिला संतों की बात होती है जिनमें मैत्रीयी और गार्गी के नाम उल्लेखनीय है। (टमकपब वउमद रू स्वअपदहए स्मंतदमकए सनबालए प्रालेखित 24 24 क्मबण् 2006) लगभग 500 ईसा पूर्व में विशेषकर मनुस्मृति और मुगल साम्राज्य के आगमन के साथ महिलाओं की स्थिति दयनीय ही बनती चली गई। मध्ययुगीन काल के दौरान समाज में अनेक कुरीतियाँ अपनी जड़ जमा चुकी थी। मुख्य रूप से बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, देवदासी इत्यादि। इन विषम परिस्थितियों के होते हुए भी समाज में कई ऐसी शख्शियत सामने आई जिनकी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में देखने को मिला। चाहे प्रशासनिक स्तर हो, जंग को मैदान हो, या साहित्यक क्षेत्र हो। हर जगह नारी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। रजिया सुल्तान, महारानी दुर्गावती, चाँद बीबी, जीजाबाई, ऐसी ही कुछ मलिलाएँ अपनी क्षमता और हुनर के लिए अमर हैं भक्ति आन्दोलन काल, में भी महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया गया। मीराबाई इस काल में सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थी। इस आंदोलन के बाद सिक्खों के प्रथम गुरु गुरुनानक ने भी महिला और पुरुष के बीच समानता के संदेश को प्रसारित किया।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नजर डालने से पता चलता है कि मानव अधिकारों के लिए संघर्ष बहुत कठिन दौर से गुजरा है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थामस और एक्बीनास आदि विचारकों ने प्राचीनकाल में मानवीय प्रतिष्ठा व गरिमा के मूलभूत मूल्यों और प्राकृतिक कानून की सार्वभौमिकता पर अपने तर्कों को आधार बनाया।
सामाजिक समझौते का सिद्धांत या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत इन्होंने भी मानव अधिकारों की वकालत की। इंग्लैंड का 1215 का मैग्नाकार्टा, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र (1776) फ्रांस की क्रांति (1789) या रूस की 1917 वोल्शेविक क्रांति, इन सबने मनुष्य के सुखमय जीवन की वकालत की।
ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी में अनेक समाज–सुधारक सामने आए जिनमें से कुछ प्रमुख राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण परम हंस इत्यादि ने सामाजिक बुराईयों से लड़ने का बीडा उठाया। एक विचारधारा को लेकर अनेक रणनीति और संगठनों का निर्माण किया। जिससे समाज में गहरी पैठ बना चुकी बुराईयों से लड़ा जा सके। स्त्री शिक्षा, विधवा पुर्नविवाह, सत्ती प्रथा का विरोध, बाल–विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, इन सबके लिए इन्होंने अथाह प्रयास किए और काफी हद तक ये अपने मिशन में सफल भी रहे।
स्वतंत्रता आन्दोलन के संघर्ष में भिकाजी कामा, श्रीमती ऐनी वेसेन्ट, सुचेता कृपलानी, कस्बूरवा गांधी विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू आदि महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इंग्लैंड की औद्योगिकी क्रांति 1688, अमेरिका की क्रांति 1776 या फ्रेंच क्रांति 1776 और रूस की 1917 की वोल्शेविक क्रांतियों ने भी अधिकारों के लिए विचार–विमर्श का रास्ता प्रशस्त किया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकार चहुँ और चर्चा का विषय बन गए। हिटलर और मुसोलिनी की विस्तारवादी नीति के चलते अधिकारों को पैरों तले रौंदा गया। इसके साथ ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और विश्व की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिखर गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जहाँ शांति स्थापना के लिए स्मंहनम वि दंजपवदे का निर्माण हुआ। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्छण्व् का निर्माण किया गया। समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में अपनाने की घोषणा की गई। एक ऐसी व्यवस्था जो सर्वसम्मति और आपसी समझ पर आधारित हो, एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए, जो मानवता के मौलिक अधिकारों की पहचान करके उनको कानूनी लिखित रूप प्रदान करे। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी का परिणाम थी।

10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वजनीन घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्यों राष्ट्रों से आग्रह किया कि चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी भी क्यूँ न हो, वे अपने–अपने देश में मानव अधिकारों का व्यापक प्रदर्शन और प्रचार करें।

1947 में भारत को भी ब्रिटिश हुकूमत से निजात मिली। भारतीय संविधान निर्माता जब अपना संविधान लिख रहे थे तो उस वक्त भारत की स्थिति को देखते हुए व सामाजिक ढाँचे को समझते हुए महिलाओं को भी एक समान दर्जा देने की बात की गई।

भारतीय संविधान व महिला अधिकार

भारत का संविधान उस संविधान सभा के प्रयासों का फल है, जिसे 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। संविधान समाज की आत्मा भी है और आईना भी। संविधान वो लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से शासन के रूप रंग की जानकारी चित्रित होती है। इसके द्वारा नागरिकों के जीवन को न केवल नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए मार्ग भी प्रशस्त होता है।

भारतीय संविधान विश्व के सभी देशों की तुलना में सबसे विशाल है इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 वर्ष का समय लगा है और 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया। संविधान का निर्माण करते समय इसके निर्माताओं ने अन्य देशों के संविधानों और अन्य अनेक स्रोतों से संवैधानिक व्यवस्थाएं लेकर भारतीय संविधान में अंकित करने से संकोच नहीं किया है। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मन्त्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति यह सब हमने ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की विधि अमेरिका से, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ का केन्द्र के पास होना कनाड़ा नीति–निदेशक तत्व आयरलैंड से, आपात उपबंध जर्मनी से, मौलिक कर्तव्य सोवियन संघ (रूस) गणतंत्र फ्रांस से, समवर्ती सूची, केन्द्र राज्य के बीच सम्बन्ध तथा शक्तियों का विभाजन आस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया–दक्षिण अफ्रीका से संविधान में शामिल की गई है।

संविधान प्रत्येक देश का मूलभूत तथा सर्वोच्च कानून होता है। उसके पीछे एक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधार, वैचारिक प्रेरणा एवं शक्ति होती है जिसे हम संवैधानिक मूल दर्शन भी कहते है। भारत संविधान की संशोधित प्रस्तावना निम्नलिखित है।

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्या नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने और उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, आज 26 नवम्बर 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म–समर्पित करती है।"

आज हम सबके सामने बहुत से प्रश्न है जैसेकिः– भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य निहित है क्या वे पूरे हो रहे है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक–एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। संविधान के जो उद्देश्य है– स्वतंत्रता, बंधुता न्याय, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि क्या कानून के सम्मुख ही समानता पर्याप्त है? जमीनी स्तर पर आज स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का ग्राफ कम क्यूं नहीं है चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार, राजनीति, भूमि आबंटन विरासत, पोषण और स्वास्थ्य इन सभी को नकारना असंभव है। समानता घर में ही क्यूं नहीं है पारिवारिक संस्था का मुख्यतया सारा बोझ महिलाओं पर ही क्यूं होता है चाहे कामकाजी महिला हो या घर पर रहने वाली अधिकतर जिम्मेदारियाँ उन्हीं को क्यूं निभानी पड़ी है। महिलाओं ने अपने अधिकरों के लिए अनेक आन्दोलन चलाए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकरों और राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों का समावेश ।बज (12–35) व (36–51) में किया गया है। यह एक ओर हमें जीवन को संवारने व अस्तित्व की नई पहचान देने के लिए अधिकार देता है वहीं दूसरी ओर समाज के एक वर्ग द्वारा इन पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है।

Article 14.18 में समानता का अधिकार दिया है। किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में समानता का महत्व है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में गया है कि "भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य व्यक्ति को विधि के सम्मुख समता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। सबको समान परिस्थितियों में समान समझा जायेगा।

अनुच्छेद 21 जो कि देश के हर नागरिक को जीवन जीने की आजादी और व्यक्तिगत आजादी के संरक्षण की व्यवस्था करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।"

महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है।

Art. 21 " "No person shall be deprived of life or personal liberty except according to a procedure established by law.
The immoral Traffic (Prevention) Act 1956
The Dowry prohibition Act, 1961
The commission of sati (prevention) Act 1987
The indecent representation of women (Prohibition) Act, 1986
Protection of women from Domestic violence Act, 2005
The sexual Harassment of women at workplace (prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
The Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

संविधान में भी समय–समय पर संशोधन किए गए हैं अब प्रश्न ये है कि क्या कानून बनाने से महिला के विरुद्ध हिंसा समाप्त हो गई। इससे सम्बन्धित अगर हम आँकड़ों पर नजर डाले, तो

स्थिति बहुत चिंताजनक है। National Crime Record Bureau की रिपोर्ट के अनुसारः महिला के विरुद्ध हिंसा पहले की अपेक्षा 7ः बढी है। 2019 में 4 लाख पांच हजार आठ सौ इकसठ (405861 case) केस दर्ज हुए।

इनमें पति द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, लैंगिक हिंसा, रेप, छेड़छाड़ सभी तरह की हिंसा शामिल है। इसमें एक लाख महिलाओं पर 62.4ः केस दर्ज हुए है जब कि 2018 में 58.8ः इसकी संख्या थी। उत्तर प्रदेश व राजस्थान के आँकडें सबसे ज्यादा है।

Global Database on valence against women

शारीरिक व लैंगिक हिंसा 28.ः

बाल विवाह – 27.3ः

Gender Equality Index: 125

Global Gender index Rank: 87

Global Gender Gap index 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 108वीं पायेदान पर है।

Global Peace index 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित है और दुनिया में चौथे स्थान पर है। समय बदलने के साथ–साथ परम्पराएं भी बदली है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य भी बदले है? महिलाओं के साथ अन्याय रामायण में सीता और महाभारत में द्रौपदी वहाँ से लेकर आज भी विरोध करने पर भंवरी देवी कांड, मुस्लिम महिला शाहबानो केस, 2012 दामिनी केस आदि ऐसे जिन्होंने सोचने पर मजबूर किया और कानूनों में बदलाव भी हुऐ, लेकिन फिर भी आज समय की माँग है कि नारीशक्ति को और अधिक सशक्त करने के लिए कठोर कानून बनाए जाए। निर्भया केस के बाद कानून कुछ कठोर तो हुए, लेकिन पर्याप्त नहीं है, उसके बाद भी अनेक निर्भया समाज में पीडित है। उन्नवाव केस हैदराबाद, बिहार, पश्चिम बंगाल, यू.पी. में हाथरस व दिल्ली आदि में हाल ही में अनेक घटनाएं घटी है। छंजपवदंस ब्तपउम त्मबवतक ठनतमंन के अनुसार महिलाओं के खिलाफ ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आज आवश्यकता इस मंथन की भी है कि क्या कारण है? क्यूं विकार मानसिकता पनप रही है? क्यूं किशोर अवस्था में ही युवक इन घिनौनी कृत्यों को अंजाम दे रहे है। इसके साथ ही महिलाओं को भी अपने लिए खुद आवाज उठानी होगी, कानूनों की जानकारी भी होनी चाहिए, आपसी संबंधों को मजबूत बनाना और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों से भी जुड़े रहना चाहिए।

महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ विशेष कदम भी उठाऐ गए है जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना (1992) स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें; National Plan of Action for the girl Child (1991-2000) National Policy for the empowerment of women. (2001) यह भी महिला सशक्तिकरण की दिशा सराहनीय कदम है।

References

1. Rankings United Nations Development Programme (UNDP) India
2. Gender Inequality Index United Nations Development Programme Retrieved 2 October 2018.
3. The Global Gender Gap Report 2018 World Economic Forum.
4. Vats Urmil, Bhartiya Savidhan: Samajik Nayay aur Chunotiya, Mahila Vidhi Bharati Quarterly Law Journal, Vol.
5. Vats Urmil, Ikkshi Sadi mein, Mahil Ki Sithti, Mahila Vidhi Bharat, Quarterly Law Journal Vol. 68.
6. India Rape and sexual Assault, Guardain retrieved August 2019.
7. Women Rights in India : constitutional Rights and Legal Rights, Edu General Retrieved June 2020.
8. National Policy for the Empowerment of women, Ministry of women and Child Development.
9. The World Fact book: India Central Intelligence Agency.
10. NCRB, Ministry of Home Affairs, Government of India.
11. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013.
12. Evans, The politics of Human Rights: A Global Perspective, London: 2000
13. Freedom M. Human Rights: An Interdisciplinary Approach, Oxford: Polity Press.
14. Freeman, M., "Human Rights and Real cultures: Towards a Dialogue on Asian Values Netherlands Quarterly of Human Rights, 1998.
15. Sinha, M.K., The Role of National Human Rights Commission of India in the implementation of Human Rights". Netherlands Quarterly of Human Rights 1998.
16. Kymlicka, Will (ed.) The Rights of Minority Cultures, OUP, 1995.
17. Priyam, Manisha, Menon, Krishna Madhulika Banerjee, Human Rights, Gender and the Environment, Pearson, Chandigrah, 2009.
18. Wallbym, Sylvia, Theorizing Patriarchy, 1997 Chkravati Uma, Gendering Caste : Through a feminist Lans, Kolkta 2003.